विक्रय पूर्व सूचना पत्र

FINANCE Saath Aapke... Harnesh

Date: 15-Feb-23

Ref. No.: 5584042 Pre.

बनाम:- BORROWER

* R M 5 6 9 1 2 6 2 8 7 1 N *
RAJESH KUMAR MEENA S/O HARKESH MEENA

PATAL VASYA KI DHANI,GRAM BILONA KHURD POST BILONA PATAL VASYA KI DHANI Lalsot Lalsot Rajasthan 303503

बनामः- Borrower:- RAJESH KUMAR MEENA S/O HARKESH MEENA

PATAL VASYA KI DHANI, GRAM BILONA KHURD POST BILONA PATAL VASYA KI DHANI

Lalsot Lalsot Rajasthan 303503

Co-Borrower-1 : SEEMA DEVI MEENA C/O RAJESH KUMAR MEENA

PATALVASYA KI DHANI BILONA KHURD BILONA DAUSA Lalsot PATAL VASYA KI DHANI Lalsot Lalsot Rajasthan 303503

Co-Borrower- 2: NIL

GTR - 1: KAMLESH KUMAR MEENA C/O RAM SAHAY MEENA

TEH RAMGARH PACHWARA BHOWATPURA GANGLIAWAS DAUSA LALSOT Lalsot

TEH RAMGARH PACHWARA Lalsot Lalsot Rajasthan 303510

महोदय.

प्रार्थी एसके फाइनेंस लि. (पूर्व नाम ऐस. के. फिनकोर्प लि.) रिजस्टर्ड कार्यालय जी–1, जी–2 न्यू मार्केट खासा कोठी सर्किल जयपुर की ओर से आपको उक्त सुचना पत्र प्रेषित किया जाता है:—

यह कि प्रार्थी एक गैर बैकिंग वित्तीय कम्पनी है जो कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत कार्य करती है, जिसका मुख्य कार्य अपने ग्राहकों को वित्तीय

सुविधा प्रदान करना है।

- यह कि निम्नवर्णित ऋण अनुबन्ध के सम्बन्ध में आप कंमाक संख्या 1 RAJESH KUMAR MEENA S/O HARKESH MEENA बतौर ऋणी तथा आप कंमाक संख्या 2 SEEMA DEVI MEENA C/O RAJESH KUMAR MEENA, एवं NIL बतौर सहऋणी है एवमं आप कंमाक संख्या 3 KAMLESH KUMAR MEENA C/O RAM SAHAY MEENA गारण्टर है के द्वारा ऋण अनुबन्ध की समस्त शर्तो की पूर्ण पालना बाबत कम संख्या 1 एवमं 2 की ओर से स्वयं की प्रतिभृति दी गयी है ।
- यह कि आपर्के द्वारा ऋण अनुबन्ध संख्या 5584042 दिनांक 18-Jan-21 को निष्पादित कर प्रार्थी कम्पनी से 360000 /-रूपयें की ऋण राशि अपने वाहन BOLERO CAMPER SC XL CBC_MM_COMM_VEH जिसका रिजस्ट्रेशन नम्बर RJ29GA3076 इंजन नम्बर GHC1M92125 एवं चेसिस नम्बर C1M84343 है, पर प्राप्त की गयी है । यह की अनुबन्ध की सहमत नियम व शर्तोनुसार उक्त ऋण की अदायगी आपके द्वारा 13657/- रूपयें की 36 नियीमत मासिक / स्ट्रक्चर्ड किस्तों मे की जानी थी ।
- यह कि जब तक ऋण अनुबन्ध की सम्पूर्ण शर्तों की पालना नहीं हो जाती, उक्त वाहन को आपके आधिपत्य में रखते हुए, आपको प्रार्थी कम्पनी के निर्देशानुसार निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराना था। यह कि निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तों के तहत उक्त वाहन ,प्रार्थी कम्पनी के हक में हाईपोथिकेटेड है एवं उक्त वाहन पर प्रथम चार्ज प्रार्थी कम्पनी में निहित है। निष्पादित ऋण अनुबन्ध में स्पष्ट रूप से तय पाया गया था कि ऋण अनुबन्ध की शर्तोनुसार अदायगी में चूक हो जाने या ऋण अनुबन्ध की किसी भी शर्त की पालना में चूक हो जाने पर प्रश्नगत वाहन के सम्बन्ध में आपके समस्त अधिकार समाप्त हो जायेगे एवं आप प्रश्नगत वाहन को प्रार्थी कम्पनी को लौटाने के लिये उत्तरदायी हो जायेगें एवं प्रार्थी कम्पनी को प्रश्नगत वाहन आधिपत्य में लेकर अनुबन्ध की शर्तोनुसार विक्य करने का अधिकार प्राप्त होगा।
- यह कि आपके द्वारा प्रश्नेगत वाहन पर वित्तीय सुविधा प्राप्त करने के पश्चात एवं ऋण सुविधा का उपयोग करते रहने के बाबजूद समय पर अनुबन्ध की शर्तों की पालना नहीं की व निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तों नुसार किश्तों की अदायगी में चूक कारित करना प्रारम्भ कर दिया। प्रार्थी द्वारा आपसे बकाया राशि की अदायगी का तकाजा करने पर आप ऋण राशि की अदायगी से गुरेज करने लगें व अनुबन्ध के अन्तर्गत परिणामों से बचने के लिये टालम टोल करने लगें तथा अनुबन्ध की शर्तों को भंग कर दिया। अतः निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तों के तहत आपका प्रश्नगत वाहन पर आधिपत्य बनाये रखने का अधिकार समाप्त हो गया।
- यह कि उक्त वाहन वर्तमान में आपके आधिपत्य में नही रहा है एवं उक्त वाहन को निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तोनुसार /स्वेच्छा से/ मोटर वाहन अधिनियम एवं नियमों की रूह मे दिनांक 11-Feb-23 को अपने अधिपत्य में लिया गया । इस कारण आपका खाता अनुबंध की शर्तोनुसार फोरक्लोज होना है व आपके जिम्मे बकाया सम्पूर्ण फोर क्लोजर की राशि 175985/— रूपये प्रार्थी कम्पनी आपसे प्राप्त करने की अधिकारिणी है।

लिहाजा आपको उक्त सूचना—पत्र प्रेषित कर सूचित किया जाता है कि आप नोटिस दिनांक से 7 दिवस के भीतर प्रार्थी कम्पनी को अपने जिम्में की बकाया फोर क्लोजर राशि 175985/- व निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तोनुसार अन्य देय राशि (वाहन को आधिपत्य में लिये जाने के सम्पूर्ण खर्चे सिहत) प्रार्थी कम्पनी के कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त कर लें अन्यथा प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रश्नगत वाहन "जहाँ है जैसी है स्थिति में" (As on where Basis) के आधार पर बेचान करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। अतः सूचित रहे।

भवदीय अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता एसके फाइनेंस लि. (पूर्व नाम ऐस. के. फिनकोर्प लि.) (जी—1 एवं जी—2, न्यू मार्केट खासा, कोठी सर्किल जयपुर। 302001)

विक्रय पूर्व सूचना पत्र

Date: 15-Feb-23

Ref. No.: 5584042 Pre.

बनामः CO-BORROWER

SEEMA DEVI MEENA C/O RAJESH KUMAR MEENA

PATALVASYA KI DHANI BILONA KHURD BILONA DAUSA Lalsot PATAL VASYA KI DHANI Lalsot Lalsot Rajasthan 303503

बनामः Borrower:-RAJESH KUMAR MEENA C/O HARKESH MEENA

PATAL VASYA KI DHANI,GRAM BILONA KHURD POST BILONA PATAL VASYA KI DHANI

Lalsot Lalsot Rajasthan 303503

Co-Borrower-1: SEEMA DEVI MEENA C/O RAJESH KUMAR MEENA

PATALVASYA KI DHANI BILONA KHURD BILONA DAUSA Lalsot PATAL VASYA KI DHANI Lalsot Lalsot Rajasthan 303503

Co-Borrower-2: NIL

GTR - 1: KAMLESH KUMAR MEENA C/O RAM SAHAY MEENA

TEH RAMGARH PACHWARA BHOWATPURA GANGLIAWAS DAUSA LALSOT Lalsot

TEH RAMGARH PACHWARA Lalsot Lalsot Rajasthan 303510

महोदय.

प्रार्थी एसके फाइनेंस लि. (पूर्व नाम ऐस. के. फिनकोर्प लि.) रजिस्टर्ड कार्यालय जी–1, जी–2 न्यू मार्केट खासा कोठी सर्किल जयपुर की ओर से आपको उक्त सुचना पत्र प्रेषित किया जाता है:--

यह कि प्रार्थी एक गैर बैकिंग वित्तीय कम्पनी है जो कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत कार्य करती है, जिसका मुख्य कार्य अपने ग्राहकों को वित्तीय

सविधा प्रदान करना है।

- यह कि निम्नवर्णित ऋण अनुबन्ध के सम्बन्ध में आप कंमाक संख्या 1 RAJESH KUMAR MEENA S/O HARKESH MEENA बतौर ऋणी तथा आप कंमाक संख्या 2 SEEMA DEVI MEENA C/O RAJESH KUMAR MEENA , एवं NIL बतौर सहऋणी है एवमं आप कंमाक संख्या 3 KAMLESH KUMAR MEENA C/O RAM SAHAY MEENA गारण्टर है के द्वारा ऋण अनुबन्ध की समस्त शर्तों की पूर्ण पालना बाबत कम संख्या 1 एवमं 2 की ओर से स्वयं की प्रतिभूति दी गयी है।
- यह कि आपके द्वारा ऋण अनुबन्ध संख्या 5584042 दिनांक 18-Jan-21 को निष्पादित कर प्रार्थी कम्पनी से 360000 /-रूपयें की ऋण राशि अपने वाहन BOLERO CAMPER SC XL CBC_MM_COMM_VEH जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ29GA3076 इंजन नम्बर GHC1M92125 एवं चेसिस नम्बर C1M84343 है, पर प्राप्त की गयी है । यह की अनुबन्ध की सहमत नियम व शर्तोनुसार उक्त ऋण की अदायगी आपके द्वारा 13657/- रूपयें की 36 नियीमत मासिक / स्ट्रक्चर्ड किस्तों मे की जानी थी ।
- यह कि जब तक ऋण अनुबन्ध की सम्पूर्ण शर्तो की पालना नही हो जाती, उक्त वाहन को आपके आधिपत्य में रखते हुए, आपको प्रार्थी कम्पनी के निर्देशानुसार निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराना था। यह कि निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्ता के तहत उक्त वाहन ,प्रार्थी कम्पनी के हक में हाईपोथिकेटेड है एवं उक्त वाहन पर प्रथम चार्ज प्रार्थी कम्पनी में निहित है। निष्पादित ऋण अनुबन्ध में स्पष्ट रूप से तय पाया गया था कि ऋण अनुबन्ध की शर्तोनुसार अदायगी में चूक हो जाने या ऋण अनुबन्ध की किसी भी शर्त की पालना में चूक हो जाने पर प्रश्नगत वाहन के सम्बन्ध में आपके समस्त अधिकार समाप्त हो जायेंगे एवं आप प्रश्नगत वाहून को प्रार्थी कम्पनी को लौटाने के लिये उत्तरदायी हो जायेंगें एवं प्रार्थी कम्पनी को प्रश्नगत वाहून आधिपत्य में लेकर अनुबन्ध की शर्तीनुसार विक्रय करने का अधिकार प्राप्त होगा।
- यह कि आपके द्वारा प्रश्नगत वाहन पर वित्तीय सुविधा प्राप्त करने के पश्चात एवं ऋण सुविधा का उपयोग करते रहने के बाबजूद समय पर अनुबन्ध की शर्तो की पालना नही की व निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तानुसार किश्तों की अदायगी में चूक कारित करना प्रारम्भ कर दिया। प्रार्थी द्वारा आपसे बकाया राशि की अदायगी का तकाजा करने पर आप ऋण राशि की अदायगी से गुरेज करने लगें व अनुबन्ध के अन्तर्गत परिणामों से बचने के लिये टालम टोल करने लगें तथा अनुबन्ध की शर्तो को भंग कर दिया। अतः निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तो के तहत आपका प्रश्नगत वाहन पर आधिपत्य बनाये रखने का अधिकार समाप्त हो गया।
- यह कि उक्त वाहन वर्तमान में आपके आधिपत्य में नही रहा है एवं उक्त वाहन को निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तोनुसार./स्वेच्छा से/ मोटर वाहन अधिनियम एवं नियमों की रूह मे दिनांक 11-Feb-23 को अपने अधिपत्य में लिया गया । इस कारण आपका खाता अनुबंध की शर्तोनुसार फोरक्लोज होना है व आपके जिम्मे बकाया सम्पूर्ण फोर क्लोजर की राशि 175985/- रूपये प्रार्थी कम्पनी आपसे प्राप्त करने की अधिकारिणी है।

लिहाजा आपको उक्त सूचना-पत्र प्रेषित कर सूचित किया जाता है कि आप नोटिस दिनांक से 7 दिवस के भीतर प्रार्थी कम्पनी को अपने जिम्में की बकाया फोर क्लोजर राशि 175985/- व निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तीनुसार अन्य देय राशि (वाहन को आधिपत्य में लिये जाने के सम्पूर्ण खर्चे सहित) प्रार्थी कम्पनी के कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त कर लें अन्यथा प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रश्नगत वाहन "जहाँ है जैसी है स्थिति में" (As on where Basis) के आधार पर बेचान करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। अतः सूचित रहे।

> अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता एसके फाइनेंस लि. (पूर्व नाम ऐस. के. फिनकोर्प लि.) (जी–1 एवं जी–2, न्यू मार्केंट खासा, कोठी सर्किल जयपूर। 302001)

विक्रय पूर्व सूचना पत्र

Date: 15-Feb-23

Ref. No.: 5584042 Pre.

बनाम:- GTR

9

KAMLESH KUMAR MEENA C/O RAM SAHAY MEENA

TEH RAMGARH PACHWARA BHOWATPURA GANGLIAWAS DAUSA LALSOT Lalsot TEH RAMGARH PACHWARA Lalsot Lalsot

Rajasthan 303510

बनामः Borrower:-RAJESH KUMAR MEENA C/O HARKESH MEENA

PATAL VASYA KI DHANI,GRAM BILONA KHURD POST BILONA PATAL VASYA KI DHANI

Lalsot Lalsot Rajasthan 303503

Co-Borrower-1: SEEMA DEVI MEENA C/O RAJESH KUMAR MEENA

PATALVASYA KI DHANI BILONA KHURD BILONA DAUSA Lalsot PATAL VASYA KI DHANI Lalsot Lalsot Rajasthan 303503

Co-Borrower-2: NIL

GTR - 1: KAMLESH KUMAR MEENA C/O RAM SAHAY MEENA

TEH RAMGARH PACHWARA BHOWATPURA GANGLIAWAS DAUSA LALSOT Lalsot

TEH RAMGARH PACHWARA Lalsot Lalsot Rajasthan 303510

महोदय.

प्रार्थी एसके फाइनेंस लि. (पूर्व नाम ऐस. के. फिनकोर्प लि.) रजिस्टर्ड कार्यालय जी–1, जी–2 न्यू मार्केट खासा कोठी सर्किल जयपुर की ओर से आपको उक्त सुचना पत्र प्रेषित किया जाता है:--

यह कि प्रार्थी एक गैर बैकिंग वित्तीय कम्पनी है जो कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत कार्य करती है, जिसका मुख्य कार्य अपने ग्राहकों को वित्तीय

सविधा प्रदान करना है।

- यह कि निम्नवर्णित ऋण अनुबन्ध के सम्बन्ध में आप कंमाक संख्या 1 RAJESH KUMAR MEENA S/O HARKESH MEENA बतौर ऋणी तथा आप कंमाक संख्या 2 SEEMA DEVI MEENA C/O RAJESH KUMAR MEENA , एवं NIL बतौर सहऋणी है एवमं आप कंमाक संख्या 3 KAMLESH KUMAR MEENA C/O RAM SAHAY MEENA गारण्टर है के द्वारा ऋण अनुबन्ध की समस्त शर्तों की पूर्ण पालना बाबत कम संख्या 1 एवमं 2 की ओर से स्वयं की प्रतिभूति दी गयी है।
- यह कि आपके द्वारा ऋण अनुबन्ध संख्या 5584042 दिनांक 18-Jan-21 को निष्पादित कर प्रार्थी कम्पनी से 360000 /-रूपयें की ऋण राशि अपने वाहन BOLERO CAMPER SC XL CBC_MM_COMM_VEH जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ29GA3076 इंजन नम्बर GHC1M92125 एवं चेसिस नम्बर C1M84343 है, पर प्राप्त की गयी है । यह की अनुबन्ध की सहमत नियम व शर्तोनुसार उक्त ऋण की अदायगी आपके द्वारा 13657/- रूपयें की 36 नियीमत मासिक / स्ट्रक्चर्ड किस्तों मे की जानी थी ।
- यह कि जब तक ऋण अनुबन्ध की सम्पूर्ण शर्तो की पालना नही हो जाती, उक्त वाहन को आपके आधिपत्य में रखते हुए, आपको प्रार्थी कम्पनी के निर्देशानुसार निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराना था। यह कि निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्ता के तहत उक्त वाहन ,प्रार्थी कम्पनी के हक में हाईपोथिकेटेड है एवं उक्त वाहन पर प्रथम चार्ज प्रार्थी कम्पनी में निहित है। निष्पादित ऋण अनुबन्ध में स्पष्ट रूप से तय पाया गया था कि ऋण अनुबन्ध की शर्तोनुसार अदायगी में चूक हो जाने या ऋण अनुबन्ध की किसी भी शर्त की पालना में चूक हो जाने पर प्रश्नगत वाहन के सम्बन्ध में आपके समस्त अधिकार समाप्त हो जायेंगे एवं आप प्रश्नगत वाहून को प्रार्थी कम्पनी को लौटाने के लिये उत्तरदायी हो जायेंगें एवं प्रार्थी कम्पनी को प्रश्नगत वाहून आधिपत्य में लेकर अनुबन्ध की शर्तीनुसार विक्रय करने का अधिकार प्राप्त होगा।
- यह कि आपके द्वारा प्रश्नगत वाहन पर वित्तीय सुविधा प्राप्त करने के पश्चात एवं ऋण सुविधा का उपयोग करते रहने के बाबजूद समय पर अनुबन्ध की शर्तो की पालना नही की व निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तानुसार किश्तों की अदायगी में चूक कारित करना प्रारम्भ कर दिया। प्रार्थी द्वारा आपसे बकाया राशि की अदायगी का तकाजा करने पर आप ऋण राशि की अदायगी से गुरेज करने लगें व अनुबन्ध के अन्तर्गत परिणामों से बचने के लिये टालम टोल करने लगें तथा अनुबन्ध की शर्तो को भंग कर दिया। अतः निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तो के तहत आपका प्रश्नगत वाहन पर आधिपत्य बनाये रखने का अधिकार समाप्त हो गया।
- यह कि उक्त वाहन वर्तमान में आपके आधिपत्य में नही रहा है एवं उक्त वाहन को निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तोनुसार./स्वेच्छा से/ मोटर वाहन अधिनियम एवं नियमों की रूह मे दिनांक 11-Feb-23 को अपने अधिपत्य में लिया गया । इस कारण आपका खाता अनुबंध की शर्तोनुसार फोरक्लोज होना है व आपके जिम्मे बकाया सम्पूर्ण फोर क्लोजर की राशि 175985/- रूपये प्रार्थी कम्पनी आपसे प्राप्त करने की अधिकारिणी है।

लिहाजा आपको उक्त सुचना-पत्र प्रेषित कर सुचित किया जाता है कि आप नोटिस दिनांक से 7 दिवस के भीतर प्रार्थी कम्पनी को अपने जिम्में की बकाया फोर क्लोजर राशि 175985/- व निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तोनुसार अन्य देय राशि (वाहन को आधिपत्य में लिये जाने के सम्पूर्ण खर्चे सहित) प्रार्थी कम्पनी के कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त कर लें अन्यथा प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रश्नगत वाहन "जहाँ है जैसी है स्थिति में" (As on where Basis) के आधार पर बेचान करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। अतः सूचित रहे।

> अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता एसके फाइनेंस लि. (पूर्व नाम ऐस. के. फिनकोर्प लि.) (जी–1 एवं जी–2, न्यू मार्केंट खासा, कोठी सर्किल जयपूर। 302001)